


तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.58/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कोतामिल में जारी हुए
23.9.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 (एक) पुखराज माली पुत्र रुपाराम माली, जाति- माली, निवासी- गली नं. 1 भाटकडा कोट, सिरोही, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर, फर्म कुन्दन ट्रेडर्स, गली नं. 1 भाटकडा कोट के अन्दर, सिरोही एवं प्रतिवादी संख्या- 2 (दो) विमला देवी पत्नि पुखराज कुमार माली, गली नं. 2, भाटकडा कोट के अन्दर, सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म कुन्दर ट्रेडर्स, गली नं. 1, भाटकडा कोट, सिरोही, जिला- सिरोही तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 क्रमशः प्रज्ञापन्द सारस्वत पुत्र भोजराज सारस्वत, H 2, 21 to 26, Riico Ind. Area, Bikaner Road, Nagaur व सुरेश चन्द्र पुत्र श्री भागीरथ, खाद्य कारोबारकर्ता एवं भागीदार, फर्म Tirupati Traders, W/1st-14, Mandore Mandi, Jodhpur के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.12.2020 को फर्म कुन्दन ट्रेडर्स, गली नं. 1, भाटकडा कोट, सिरोही, जिला- सिरोही में प्रतिवादी पुखराज माली पुत्र रुपाराम माली, जाति- माली, निवासी- गली नं. 1, भाटकडा कोट, सिरोही, जिला- सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोलिफन ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1307 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1018/Act/2020/1016 दिनांक 29.12.2020 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया।</p> <p>प्रकरण में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होंने बहस के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोलिफन ब्राण्ड) का नमूना लेने के संबंध में न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कार्यवाही प्रतिवादी पुखराज माली के सामने निष्पादित नहीं की गई है एवं न ही ऐसी कोई कार्यवाही प्रतिवादी पुखराज माली के संस्थान पर निष्पादित की गई तथा न ही प्रतिवादी पुखराज माली को नमूना क्रय की राशि दी गई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित प्रक्रिया नहीं अपनाई है तथा नमूना लेने की कार्यवाही</p> <p>.....लगातार</p>	




 धवि. निसा मबिस्ट्रे
 सिरोही-307001


तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.58/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
-------------	---	---

विधि अनुरूप नहीं की गई है। आवेदक द्वारा Nabl Accredited Lab से जांच कराने के संबंध में प्रतिवादीगण को कोई सूचना नहीं दी है तथा न ही खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादीगण को भिजवाई गई है, इस कारण से प्रतिवादी उक्त खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोल्फिन ब्राण्ड) के नमूने के द्वितीय भाग की रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहा है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46 की उपधारा 4 का उल्लंघन है। आवेदक द्वारा प्रतिवादी Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोल्फिन ब्राण्ड) का नमूना लेने की कार्यवाही सम्पादित नहीं करने से नमूना लेने की पूरी कार्यवाही संदेहास्पद है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही दोषपूर्ण व अवैध है। यह कि मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोल्फिन ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म जिम्मेदार है, क्योंकि लेबल पर त्रुटि निर्माता फर्म द्वारा की गई है, इसलिये प्रतिवादीगण को लेबल पर हुई त्रुटि के संबंध में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों को सक्षम साक्ष्य से साबित नहीं करवाया है। यह कि F.S.S.A.I. द्वारा जारी परिपत्र जो भारत सरकार एवं सभी राज्य सरकारों को प्रेषित किया है उसमें मिथ्याछाप वाले प्रकरणों में संबंधित फर्म को लेबल पर हुई त्रुटि में सुधार का नोटिस दिया जाकर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.12.2020 को समय 5.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म कुन्दन ट्रेडर्स, गली नं. 1, भाटकडा कोट, सिरौही, जिला- सिरौही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से पुखराज माली पुत्र रुपाराम माली, जाति- माली, निवासी-गली नं. 1, भाटकडा कोट, सिरौही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोल्फिन ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोल्फिन ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता प्रतिवादी पुखराज माली को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर फर्श पर बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोल्फिन ब्राण्ड) के 7 सील्ड पैकड बैग (प्रत्येक 30 किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोल्फिन ब्राण्ड) के 30 किलोग्राम के एकलगातार




 ब.स. जिला न्यायालय
 सिरौही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.58/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कौतामिल में जारी हुए
	<p>सील्ड पैकड बेग को खोलकर उसे अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये गये खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोलिफन ब्राण्ड) में से 4 किलोग्राम Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोलिफन ब्राण्ड) को एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 400/- (अक्षरे रुपये चार सौ मात्र) प्रतिवादी पुखराज माली को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) के कोड एवं क्रमांक S-1307, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोलिफन ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता पुखराज माली एवं गवाह के समक्ष खरीददशुदा Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोलिफन ब्राण्ड) को चार साफ, सूखे एवं खाली जारों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक जार को ढक्कन से से एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक नमूना जार पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं एक नमूना जार के साथ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोलिफन ब्राण्ड) का मूल लेबल लगाकर टेप से चिपकाया। चारों नमूना जारों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1307 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपड़ी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपड़ी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 04.12.2020 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को दिनांक 03.12.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार,, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म कुन्दन ट्रेडर्स, गली नं.1, भाटकडा कोट के अन्दर, सिरौही खाद्यलगातार</p>	

d
 पति. जिसा दक्षिण
 सिरौही-307001.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.58/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतामिल में जारी हुए
	<p>कारोबारकर्ता एवं मैनेजर पुखराज माली से खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोल्फिन ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोल्फिन ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1307 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./1018/Act/2020/1016 दिनांक 29.12.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोल्फिन ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी विमला देवी पत्नि पुखराज माली, जाति- माली, निवासी- गली नं. 2, भाटकडा कोट के अन्दर, सिराही की प्रोपराईटरी फर्म कुन्दन ट्रेडर्स, गली नं. 1, भाटकडा कोट के अन्दर, सिराही द्वारा खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोल्फिन ब्राण्ड) के 30-30 किलोग्राम के सील्ड पैकड बेग जरिये बिल नम्बर C/004599 दिनांक 27.11.2020 के द्वारा फर्म Tirupati Traders, W/1st, Mandore Mandi, Jodhpur से क्रय किये थे जो प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की भागीदारी की फर्म है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोल्फिन ब्राण्ड) के क्रय का बिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए हैं, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार,, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-2 की प्रोपराईटरी फर्म कुन्दन ट्रेडर्स एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की भागीदारी फर्म तिरुपति ट्रेडर्स ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(डोल्फिन ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर) (डोल्फिन ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी विमला देवी पत्नि पुखराज माली, जाति- माली, निवासी- गली नं. 2, भाटकडा कोट के अन्दर, सिराही, जिला- सिराही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म कुन्दन ट्रेडर्स, गली नं. 1, भाटकडा कोट, सिराही, जिला- सिराही पर राशि रुपये 1,000/- (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र)लगातार</p>	



भा.ज. वि.सा. ब.वि.सू.क
सिराही-307001.



तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.58/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	<p>की एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 क्रमशः प्रज्ञानन्द सारस्वत व सुरेश चन्द्र की फर्म Tirupati Traders, W/1st, Mandore Mandi, Jodhpur पर राशि रुपये 1,000/- (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 व 4 को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 28.10.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>a</i> (के.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही</p>	